न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—121/2017/75 (2017/00121)

1. सरपंच ग्राम पंचायत रामपाल, तह0 सरवाड़, जिला जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपाली, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर जरिये प्रधानार्चाय ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 30.1.2017.

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .

निर्णय

दिनांकः— 30.8.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 30.1.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अवांटन आदेश दिनांक 30.1.2017 द्वारा ग्राम रामपाली के खसरा नंबर 305 मे से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपाली को आवंटित की । विद्वान जिला कलक्टर के इस आवंटन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वह अपने गांव में ग्रामवासियों की सुविधा अनुसार खलिहान व चारागाह की भूमि आरक्षित रखे, वादग्रस्त भूमि खलिहान भूमि है जिस कारण ग्राम पचांयत व्यथित पक्षकार है । आवंटन के समय ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई एवं खलिहान की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है । इस कारण ग्राम पंचायत व्यथित पक्षकार है एवं न्यायाहित में अपीलांट को आक्षेपित आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।
5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया था जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी

आदेश की दिनांक को नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन आदेश न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है एवं ऐसे निर्णयों को चुनौती देने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है । प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 3.5.2017 को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 11.5.2017 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खलिहान दर्ज है एवं यह न्याय का सिद्धांत है कि खलिहान की भूमि आवंटित नही की जा सकती है । इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर ने उक्त बिन्दु को नजरअंदाज कर वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पो0 संख्या 1 को करने में भारी त्रुटि कारित की है। न्याय का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी ग्राम में किसी को भी आवंटन किए जाने से पूर्व ग्राम पंचायत की अनुमति एवं स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित की गई भूमि बाबत् ग्राम पंचायत से कतई अनुमति नहीं ली गई जिससे भी उक्त आवंटन आदेश निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी का आवंटन, आवंटन नियम 1963 के प्रावधानां को नजरअंदाज कर उनके विपरीत आवंटन किया गया है जिस कारण रेस्पो0 संख्या 1 को किया गया आवंटन कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित भूमि विद्यालय के अनुकूल नहीं है एवं इस बाबत् ग्राम पंचायत से किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है । आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार की जानी चाहिये उसके पश्चात् ही आवंटन किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर प्रहलाद पुत्र रादयाल शर्मा एवं अन्य व्यक्तियों के कब्जे है जिस कारण भूमि आवंटन ही नहीं की जा सकती थी । यह भी कथन किया कि आवंटन से पूर्व अधिसूचना जारी नही की गई थी जिससे भी आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आवंटन आदेश निरस्त किया जावे ।

7. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड सिवायचक दर्ज होने से रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित की गई है । विवादित आराजियात से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है तथा न ही अपीलांट हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जावे तथा अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0 दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में अंकित किया है कि विवादित आराजियात खलिहान व चारागाह भूमि है तथा खलिहान की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है जिससे अपीलांट व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित की है । स्कूल सार्वजनिक उपयोग की संस्थान है जो ग्रामवासियान के हितार्थ उपयोग में आती है । जहां तक विवादित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने का प्रश्न है चूंकि विवादित आराजियात सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा अवैध एवं अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तथा ऐसे कब्जे काश्त

को कानूनन विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अतिक्रमी को सरंक्षित करने के उद्देश्य से पेश किया जाना प्रतीत होता है जो सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल है । अपीलांट ने स्वच्छ हाथों से अपील पेश नहीं की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में भी नहीं है । विवादित आराजी सिवायचक आराजी है जिसे विद्वान जिला कलक्टर को सार्वजनिक एवं राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटन करने का विधिक अधिकार है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार किस प्रकार प्रभावित हुए है अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । अपीलांट अपीलाधीन आदेश से व्यक्ति एवं पीड़ित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर